

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

उच्चोपीठ (एस0) सं0-458 वर्ष 2017

- पी0डी0 वेरोनिका, पुत्री—पी0डी0 देवसी, निवासी—होली फैमिली कॉन्वेंट, गौराबेरा, डाकघर—बम्हनी, थाना—तोरपा, जिला—खूंटी, झारखण्ड।
- मरियम लोमगा, पत्नी—श्री सुलेमान पूर्ति, निवासी ग्राम—वरुपिरी, डाकघर—बुर्जु, थाना—मुर्सु, जिला—खूंटी, झारखण्ड।
- वाल्टर केरकेटा, पे0 स्वर्गीय सैमुअल केरकेटा, निवासी ग्राम—कथ्थलटोली तोरपा रोड खुंटी, डाकघर, थाना और जिला—खूंटी, झारखण्ड।

..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

- झारखण्ड राज्य सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर—धुर्वा, थाना—जगन्नाथपुर, जिला—राँची के माध्यम से।
- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, डाकघर—धुर्वा, थाना—जगन्नाथपुर, जिला—राँची।
- जिला शिक्षा अधीक्षक, खूंटी, डाकघर, थाना और जिला—खूंटी, झारखण्ड।

..... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमाथ पटनायक

याचिकाकर्ता के लिए :- श्री कृष्ण शंकर नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदातागण के लिए:- श्री प्रशांत कु0 सिंह, जी0पी0—VI

03 / 07.02.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, व्यक्तियों का विवरण नीचे दिए गए चार्ट में दिखाया जा रहा है:

याचिकाकर्ताओं का तर्क यह है कि विचाराधीन स्कूल सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय है और स्कूल कर्मचारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान के लिए सभी खर्चों को राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने से वित्त पोषित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश के आधार पर पेंशन भी मिल रही है। वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत उनके खिलाफ बकाया अर्जित अवकाश पर छुट्टी नकदीकरण राशि का भुगतान न करने के संबंध में है। उन्होंने यह भी कहा है कि अन्य सेवानिवृत्ति के बाद देय राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदान सहायता से वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद लाभ का भुगतान किया गया है।

श्री कृपा शंकर नंदा, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता कि हालांकि, याचिकाकर्ताओं के दावे का पहले प्रतिवादी—राज्य सरकार द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन इस न्यायालय की विद्वान खण्डपीठ द्वारा दिनांक 3 जनवरी, 2014 को डब्ल्यू०पी० (एस) सं० 506/2013 मरियम तिर्की बनाम झारखण्ड राज्य और अन्य एवं अन्य अनुरूप मामले में पारित निर्णय जो 2014 (1) जे०बी०सी०जे० 465 में रिपोर्ट किया गया है, के मद्देनजर अब इस मुद्दे

को सुलझा लिया गया है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्पेशल लीभ टू अपील (सी) संख्या (एस) 20606–20607 / 2014 में पारित दिनांक 15.12.2014 के निर्णय द्वारा पुष्टि किया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, विद्वान डिवीजन बेंच द्वारा पूर्वोक्त पारित निर्णय जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी पुष्टि की गई है, के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देकर रिट याचिका का निपटारा किया जा सकता है।

उत्तरदाता—राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राथमिक/मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अर्जित अवकाश नकदीकरण राशि की स्वीकार्यता से संबंधित पूर्वोक्त मुद्दा अब मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय द्वारा तय किया गया जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक पुष्टि किया गया।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, ऐसी परिस्थितियों में, रिट याचिका का निपटारा प्रतिवादी सं० ३ को यह निर्देश देकर किया जा रहा है कि याचिकाकर्ताओं से संबंधित सेवा रिकॉर्ड की उचित जांचके बाद उनके छुट्टी नकदीकरण राशि प्रदान करने के मामले में उनके ओर से अभ्यावेदन के साथ इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से दस सप्ताह की अवधि के भीतर और मरियम तिर्की (सुप्रा) के मामले में दिए गए निर्णय को देखते हुए निर्णय किया जाए।

6. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया०)